रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-12042021-226523
CG-DL-W-12042021-226523

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 14] नई दिल्ली, अप्रैल 4 - अप्रैल 10, 2021, शनिवार/ चैत्र 14 - चैत्र 20, 1943
No. 14] NEW DELHI, APRIL 4 - APRIL 10, 2021, SATURDAY/ CHAITRA 14 -CHAITRA 20, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

जल शक्ति मंत्रालय

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2021

सा.का.नि. 47.—जबकि, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) और (3) के खंड (i), (ii), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xii) और (xiii) और धारा 4,5,9,10,11,19, 20 और 23 के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों, का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पूर्ववर्ती पर्यावरण और वन मंत्रालय की दिनांक 30 सितंबर, 2009 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1111(अ) दिनांक 30 सितंबर, 2009 का का.आ. 2493(अ),

दिनांक 30 सितंबर, 2009 का का.आ. 2494(अ), दिनांक 30 सितंबर, 2009 का का.आ. 2495(अ) दिनांक 08 फरवरी, 2010 का का.आ. 287(अ) और पूर्ववर्ती जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के दिनांक 29 सितंबर, 2014 का का.आ. 2539(अ) को निरस्त करते हुए, ऐसे निरस्तीकरण से पहले की बातों या किए गए कार्यों को हटाने के अलावा, केन्द्र सरकार ने दिनांक 07.10.2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3187(अ) के माध्यम से गंगा नदी (पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 को अधिसूचित किया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को प्राधिकरण के रूप में गठित किया गया।

और जबकि, गंगा नदी (पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 की धारा 37 के अंतर्गत कार्यकारी निदेशक (तकनीकी) की नियुक्ति प्राधिकारी केन्द्र सरकार है और केन्द्र सरकार कार्यकारी निदेशक (तकनीकी) की नियुक्ति के निबंधन और शर्तों को निर्धारित करने में सक्षम है। और इसलिए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में कार्यकारी निदेशक (तकनीकी) के पदों की भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमों को बनाती है:

1. लघु शीर्षक और आरंभ.— (i) इन नियमों को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (प्राधिकरण): कार्यकारी निदेशक (तकनीकी) भर्ती नियम, 2021 कहा जाएगा।

(ii) ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

2. प्रयोज्यता.—ये नियम, इन नियमों के अनुसार संलग्न अनुसूची के कॉलम (1) में निर्दिष्ट पद पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, इसका वर्गीकरण और इसके साथ जुड़े वेतन मैट्रिक्स में लेवल, इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथा निर्दिष्ट होंगे।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं इत्यादि.—उक्त पदों से संबंधित भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और अन्य संबंधित मामलों को अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथा विनिर्दिष्ट होंगी।

5. कार्यकारी निदेशक (तकनीकी) के पद का कार्यकाल.—राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के कार्यकारी निदेशक (तकनीकी) का पद प्रतिनियुक्ति पर भरा जाएगा और सेवारत अधिकारी का कार्यकाल पांच वर्ष की अवधि के लिए या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होगा।

6. अयोग्यता.—कोई व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

बशर्ते केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि इस तरह का विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के पक्षों पर लागू व्यैक्तिक कानूनों के अंतर्गत और ऐसा करने के अन्य आधार पर अनुमति प्राप्त हो या इस नियम के लागू होने से किसी व्यक्ति को छूट प्राप्त हो।

7. छूट देने की शक्ति.—जहां केन्द्र सरकार का विचार हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो यह इस आदेश द्वारा या लिखित रूप में कारण दर्ज करते हुए और मंत्री (जल शक्ति) के अनुमोदन से व्यक्तियों के किसी भी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के प्रावधानों में से किसी को भी छूट प्रदान कर सकती है।

8. सिवाय.—इन नियमों में, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष श्रेणियों के अन्य व्यक्तियों को आरक्षण, आयु सीमा में छूट और प्रदान की जाने वाली अन्य अपेक्षित रियायतों पर केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुपालन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पद का नाम	कार्यकारी निदेशक (तकनीकी), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
2.	पदों की संख्या	01
3.	वर्गीकरण	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय
4.	वेतन मैट्रिक्स का स्तर	लेवल-14 (144,200/- से 218,200/- रुपए)
5.	चयनित पद या गैर-चयनित पद	लागू नहीं।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं।
7.	सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	लागू नहीं।
8.	क्या प्रोन्नति के मामले में आयु और शैक्षणिक अर्हताएं लागू होंगी	लागू नहीं।
9.	परिवीक्षा की अवधि ,यदि कोई है	लागू नहीं।
10.	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/समावेशन के आधार पर है और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे गए पदों की प्रतिशतता	प्रतिनियुक्ति
11.	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/समावेशन ग्रेड द्वारा भर्ती के मामले में जिसके लिए प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया गया है	**प्रतिनियुक्ति**: केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/अर्ध सरकारी/स्वायत्त/सांविधिक संगठनों के तहत सेवारत ऐसे अधिकारी: क) i. जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित हों ; या ii. जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में 123100- 215900/- रुपए के वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13-अथवा समतुल्य वेतन में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत दिए गए ग्रेड में न्यूनतम तीन वर्षों की सेवा प्रदान की हो; या iii. जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में 78800 – 209200/- रुपए के वेतन मैट्रिक्स के लेवल 12-अथवा समतुल्य वेतन में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत दिए गए ग्रेड में न्यूनतम आठ वर्षों की सेवा प्रदान की हो; और ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव हो; i. आवश्यक:- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या इसके समकक्ष से सिविल इंजीनियरिंग या पर्यावरणीय

		इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री; ii. जल संसाधन प्रबंधन, प्रदूषण रोकथाम परियोजनाओं के निर्माण, संचालन और रखरखाव में 15 वर्षों का कार्य करने का अनुभव; **वांछनीय**:-पर्यावरणीय इंजीनियरिंग/पब्लिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग / नदी और झील संरक्षण/जल संसाधन /हाइड्रोलॉजी /एसटीपी में एम.ई/एम.टेक **टिप्पणी 1**: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि पर 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। **टिप्पणी 2**: कार्यकारी निदेशक (तकनीकी) का कार्यकाल सामान्य रूप से पांच वर्ष या सेवानिवृत्ति की आयु, जो भी पहले हो, तक होगा।
12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो इसके संगठन में कौन-कौन शामिल हैं	**सर्च-कम-चयन समिति की संरचना : -** 1. सचिव (ज.सं., न.वि. और गं.सं.) – अध्यक्ष 2. महानिदेशक (एनएमसीजी) –सदस्य 3. विभाग से बाहर जल संसाधन प्रबंधन/पर्यावरणीय विज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञ - सदस्य
13.	भर्ती के लिए उन परिस्थितियों का विवरण जहां संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा. सं.A-12018/12/2020-प्रशासन-एम.ओ.डब्ल्यू.आर.]

एस.बी.पांडेय, अवर सचिव

MINISTRY OF JAL SHATKI

(Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation)

New Delhi, the 7th April, 2021

G.S.R. 47 .—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clauses (i), (ii), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xii) and (xiii) of sub-section (2) and (3) of section 3 and sections 4,5,9,10,11, 19, 20 and 23 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in supersession of the notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests numbers S.O.1111(E), dated the 30th September, 2009, S.O. 2493 (E), dated the 30th September, 2009, S.O. 2494 (E), dated the 30th September 2009, S.O. 2495 (E), dated the 30th September 2009, S.O. 287 (E) dated the 8th February, 2010 and in the erstwhile Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation No. S.O. 2539 (E), dated the 29th September 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government had notified vide notification number S.O. 3187(E) dated 07.10.2016 the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016, inter alia, constituting the National Mission for Clean Ganga as Authority. And whereas under section 37 of the River Ganga (Rejuvenation, Protection and Management) Authorities Order, 2016, the appointing authority for Executive Director (Technical) is the Central Government and the Central Government is competent to determine the terms and conditions of appointment of Executive Director (Technical). And therefore, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Executive Director(Technical) in the National Mission for Clean Ganga, namely :-

1. **Short title and commencement.—** (i) These rules may be called the National Mission for Clean Ganga (Authority) : Executive Director(Technical) Recruitment Rules, 2021.

(ii) They shall come into force with immediate effect.

2. **Application.—**These rules shall apply to the post specified in Column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of post, classification and scales of pay.—**The number of the said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

5. **Tenure of the post of Executive Director(Technical) .—**The post of Executive Director(Technical) of the National Mission for Clean Ganga shall be filled on Deputation and the serving officer shall hold office for a period of five years or until he/she attains the age of superannuation, whichever is earlier:-

6. **Disqualification.—**No person –

a. Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living,

Or

b. Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

Shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and with the approval of the Minister (Jal Shakti), relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Saving.—** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

1.	Name of Post	Executive Director (Technical), National Mission for Clean Ganga
2.	Number of Post	01
3.	Classification	General Central Service, Group ‘A’ Gazetted, Non-Ministerial.
4.	Level in the pay matrix	Level-14 (Rs. 144,200/- to Rs. 218,200/-)
5.	Whether Selection post or Non – Selection post	Not applicable
6.	Age-limit for direct recruits	Not applicable
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not applicable
8.	Whether age and educational qualification for direct recruits will apply in the case of promotees	Not applicable
9.	Period of probation, if any	Not applicable
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment, or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	Deputation
11.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from	**Deputation:** A serving officer under Central Government/State Governments/ Union Territories/Recognized Research

	which promotion/deputation/absorption to be made	Institutions/Public Sector Undertakings/ Semi Government / Autonomous/Statutory Organizations.: a) i. Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; OR ii. With minimum three years of service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 13 of the Pay Matrix Rs. 123100- 215900/- or equivalent in the parent cadre or Department; OR iii. With minimum eight years of service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 12 of the Pay Matrix Rs. 78800 – 209200/- or equivalent in the parent cadre or Department; AND b) Possessing the following educational qualifications and Experience ; i. Essential:- Graduate Degree in Civil Engineering or Environmental Engineering from recognized University or equivalent; ii. 15 years of working Experience in the field of Water Resources Management, construction, operation & maintenance of pollution abatement project. **Desirable:-** M.E./M.Tech in Environment Engineering/Public Health Engineering/River & Lake conservation/Water Resources/Hydrology/STP **Note 1:** The maximum age-limit for appointment on deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date for receipt of application. **Note 2:** The term of Executive Director (Technical) will normally be five years or till the age of superannuation, whichever is earlier.
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Composition of Search-cum-Selection Committee : - 1. Secretary(WR,RD&GR)– Chairman 2. Director General(NMCG)– Member 3. An expert in the field of water resource management/ Environmental Science from outside the Department- Member
13.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A-12018/12/2020-ADMINSTRATION-MOWR]

S.B. PANDEY, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.04.12 16:17:24 +05'30'